न्यायालय : जिला न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी ईब्तदाई प्रकरण संख्या :– 04/2018
CNR : RJBA010003582018
सी.आई.एस. नं. :– 05/2018

01. वैयजन्तीदेवी पुत्री चम्पालाल पत्नी जगदीशचंद, उम्र 60 वर्ष,
02. पुष्पादेवी पुत्री चम्पालाल पत्नी ओमप्रकाश परिहार, उम्र 62 वर्ष, निवासियान पचपदरा, हाल बालोतरा ।

..... वादीगण

बनाम

01. उमादेवी उर्फ उम्मेदीदेवी पत्नी चम्पालाल, निवासी पाटोदी सर्किल के पास, खीमाणियों का मौहल्ला, पचपदरा, तहसील पचपदरा, हाल नाथुराम मुकनाराम, भैसका वाले अमर सागर, बड़ा बाग, बाईपास रोड़, जैसलमेर ।
02. भंवरलाल पुत्र कानाराम, निवासी पचपदरा ।

..... प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :–
01. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी व श्री अन्नाराम सारण ।
02. प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरिहंत तातेड़ ।

:: निर्णय ::

दिनांक : 19.05.2026

1. वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध दीवानी वाद बाबत बंटवाड़ा तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 16.04.2018 को प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात् वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 28.08.2019 को स्वीकार किया जाकर पश्चातवर्ती क्रेता भंवरलाल को पक्षकार बनाये जाने पर वादीगण

द्वारा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया व प्रतिवादीगण द्वारा संशोधित जवाब दावा प्रस्तुत किया गया ।

2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादीगण एवं प्रतिवादिया हिन्दू धर्म की अनुयायी है तथा हिन्दू धर्म की मिताक्षरा पद्धति से शासित होती है ।

3. यह है कि वादीगण स्व. चम्पालाल की जायन्दा पुत्रियां है तथा प्रतिवादीया स्व. चम्पालाल की द्वितीय पत्नि है यानि वादीगण की सौतेली मां है ।

4. यह है कि स्वर्गीय चम्पालाल ने अपने जीवनकाल में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.09.1976 को पंजीकृत दस्तावेज सं. 693/76 के जरिये एक भूखण्ड मय तामीरात तत्समय के मालिक हीरालाल पुत्र अमराराम सोनार से बमौहल्ला खिमाणियों का चौक पचपदरा में अवस्थित रहा, को सप्रतिफल खरीदा, बाद खरीद बतौर मालिक कब्जा प्राप्त किया । जब तक चम्पालाल जीवित रहे उक्त भूमि का उपयोग उपभोग बतौर मालिक करते रहे जिसके पडौस व नाप वक्त खरीद निम्न थे :–

   बदिशा उत्तर में – भुखण्ड का दरवाजा व डामर सड़क

   बदिशा दक्षिण में – मोहनलाल मदाणी का मकान

   बदिशा पूर्व में – कानाराम पुत्र गोपुराम नाई का मकान

   बदिशा पश्चिम में – खेताराम पुत्र प्रभुजी माली का मकान

   नाप कुल 568 वर्ग गज ।

   उक्त सम्पति के वर्तमान नाप व पडौस –

   बदिशा उत्तर में – आम सडक

   बदिशा दक्षिण में – अरविन्द मदाणी का मकान

   बदिशा पुर्व में –भंवरलाल पुत्र कानाराम का मकान

   बदिशा पश्चिम में – लिखमीचंद लुकड़ का मकान

   नाप बदिशा उत्तर–दक्षिण में 25–25 फीट

   नाप बदिशा पुर्व –पश्चिम में 95–95 फीट

   मौके की सही वस्तु स्थिति को और अधिक सुस्पष्ट करने हेतु वादपत्र के साथ परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत किया है जिसमें 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' मार्क से वादग्रस्त भुखण्ड तथा उसमें निर्मित तामीरात को दर्शाया गया है । तदोपरान्त इस वाद के सन्दर्भ में उक्त सम्पति को वादग्रस्त सम्पति के नाम से सम्बोन्धित किया गया है ।

5. यह है कि चम्पालालजी ने प्रथम शादी वादीगण की माताजी मथरादेवी से की, मथरादेवी ने दो संतानों वादीगण को जन्म दिया । तदोपरांत छोटी आयु में ही मथरादेवी का देहांत हो गया तत्पश्चात् मथरादेवी की मृत्यु के करीब 15 वर्ष बाद चंपालाल ने प्रतिवादीनी से नाता किया । प्रतिवादीनी ने पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दिया । चम्पालाल के कोई पुरुष संतान यानि पुत्र नहीं होने से चम्पालाल की सेवा चाकरी व देखरेख वादीगण द्वारा ही प्रथम श्रेणी की वारिशान पुत्रियां होने से उनके द्वारा समय–समय पर पचपदरा जाकर की जाती रही। चम्पालाल का वादीगण के प्रति बहुत लगाव था।

6. यह है कि चम्पालालजी के हिन्दू रहते निवर्सियती तारीख 17.02.2017 को पचपदरा में वादग्रस्त मकान में रहते हुए मृत्यु हुई हालांकि चम्पालालजी के पास अपनी स्वअर्जित सम्पति एवं संयुक्त हिन्दू परिवार से बहुत सी सम्पतियां मिली जिसमें कृषि भूमियां, वादग्रस्त सम्पति तथा चल सम्पति में सोने–चांदी के आभूषण एवं रोकड़ रूपये रहे है किन्तु चंपालालजी के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी जायज जरूरत हेतु सम्पति का बेचान एवं खर्च समय–समय पर किया । चम्पालालजी द्वारा अपने जीवनकाल में उनके पास रही सम्पतियों का उपयोग, उपभोग, बेचान व बक्शीश करने के बाद वादग्रस्त भूखण्ड मय तामीरात एवं सरहद मौजा चिरडाणी तहसील पचपदरा में कृषि भूमि खसरा सं. 192 रकबा 15.15 बीघा अवस्थित शेष रही । वादीगण स्वर्गीय चम्पालाल की जायन्दा पुत्रियां होने से हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधान के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिशान होने से वादीगण के उक्त भूमियों में विधिक अधिकार निहित हो गये जो कभी विनिहित नहीं हुए।

7. यह है कि प्रतिवादीनी जो वादीगण की सौतेली माता है क्योंकि चम्पालाल के कोई पुरूष संतान यानि पुत्र नहीं होने की वजह से तथा प्रतिवादीनी के कोई संतान नहीं है इसलिये प्रतिवादीनी का व्यवहार वादीगण के पिता चम्पालाल के देहान्त के पश्चात वादीगण के प्रति बेरूखा हो गया । वादीगण ने प्रतिवादीनी को निवेदन किया कि उनके पिता की वंश परम्परा को आगे कायम रखा जावें इसलिये उनके गौत्री वंशज भाइयों में नजदीकी भाई को बतौर गोदपुत्र रखा जायें ताकि चंपालालजी की वंश परम्परा कायम रहे किन्तु प्रतिवादीनी ने वादीगण की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।

8. यह है कि चूंकि वर्तमान में कृषि भूमि एवं वादग्रस्त भूखण्ड मय तामीरात की कीमत बढ़ गई इस कारण कुछ लोग जो वादीगण से अदावदी रखते है, के द्वारा प्रतिवादीनी को बहकावे में लेकर वादीगण के विरूद्ध उकसाने से प्रतिवादीनी के मन में लालच उत्पन्न हो

गया। इसी लालच की कड़ी में उपरोक्त सम्पूर्ण जायदाद को हड़प करने की बदनियति से वादग्रस्त भुखण्ड के संबंध में गलत तथ्य बताकर कूटरचित दस्तावेज रचने का उपक्रम किया जाने लगा और चल सम्पति जो स्वर्गीय चम्पालालजी से वादीगण एवं प्रतिवादीनी को प्राप्त हुई है तथा 5 किलो चांदी व 16 तोला सोना को खुर्द बुर्द करने का उपक्रम शुरू कर दिया ऐसे खुर्द बुर्द करने के तथ्यों की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीनी को ऐसा न करने हेतु समाज के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में वादग्रस्त मकान में वार्ता कर माह मार्च 2018 में समझाईश की किन्तु प्रतिवादीनी ने कोई जवाब नही दिया और उल्टी धमकी दी कि उपरोक्त सम्पूर्ण जायदाद को वह गलत एवं अशुद्ध तथ्यों के आधार पर दस्तावेज रचकर बेचान कर देगी और प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि को हड़प कर अपने पीहर जैसलमेर चली जाएगी। इस पर वादीगण ने उक्त सम्पतियों में 1/3 + 1/3 = 2/3 हिस्सा वादीगण का होने से उक्त हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर जुदागाना करने हेतु कहा तथा चल सम्पति 5 किलो चांदी व 16 तौला सोना में भी 1/3 + 1/3 = 2/3 हिस्से में विभाजित करने का निवेदन किया तो ऐसा करने से भी प्रतिवादीनी ने साफ इंकार कर दिया और कहने लगी कि उसके पास कोई गहना इत्यादि नहीं है और उसने वादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में कूटरचित दस्तावेज भी रच दिये है एक दो दिन में बेचान कर देगी जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीनी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूखण्ड मय तामीरात वादीगण के पिता चम्पालाल का खरीदशुदा मालिकाना स्वामित्व का होने व वादीगण चम्पालाल की पुत्रियां होने से प्रथम श्रेणी की वारिशान है इसलिए चंपालाल की सम्पति में उनके विधिक हक निहित है हालांकि प्रतिवादीनी द्वारा वादग्रस्त सम्पति के संबंध में किसी प्रकार के कूटरचित दस्तावेज की कोई जानकारी वादीगण को नहीं है फिर भी भविष्य में ऐसे किसी दस्तावेज की जानकारी होने पर उसके संबंध में विधिक कार्यवाही के हक को सुरक्षित रखती है ऐसा तथाकथित दस्तावेज वादीगण के हक के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य प्रभाव का रहा व हैं। शून्य दस्तावेज से न तो हको का सृजन होता है और न ही हको का निर्वापन ही होता हैं। प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा मिलावट कर वादपत्र के विचाराधीन रहते अवैध व अनाधिकृत रूप से वादीगण के पिता के मालिकाना स्वामित्व की वादग्रस्त सम्पति जिसमें वादीगण के विधिक हक जन्म से ही निहित हो गये थे, के सम्बंध में बेचान तारीख 25.05.2018 को किया ऐसा बेचाननामा वादीगण के हको के विरूद्ध प्रारम्भ से ही शून्य अप्रवृतनीय व निष्प्रभावी रहा व है। उक्त दस्तावेज बेचाननामा वादपत्र के विचाराधीन रहते किया हुआ

है जिस पर लिसपैन्डेन्सी के सिद्धान्त लागू होते है ऐसे अप्रभावी निष्प्रभावी अवैध अनाधिकृत बेचाननामा है जिससे हको का न तो सृजन होता है और न ही निर्वापन ही होता है।

9. यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से मिलावट कर वादपत्र के विचाराधीन रहते अवैध व अनाधिकृत रूप से वादीगण के पिता के मालिकाना स्वामित्व की वादग्रस्त सम्पति जिसमें वादीगण के विधिक हक जन्म से ही निहित हो गये थे उक्त सम्पति का भी बेचान दिनांक 25.05.2018 को दौराने वाद किया ऐसा बेचाननामा वादीगण के हकों के विरूद्ध आरम्भ से अप्रवतर्नीय व निष्प्रभावी तथा शून्य प्रभाव का रहा व है। उक्त दस्तावेज बेचाननामा वादपत्र के विचाराधीन रहते करवाया गया है जिस पर लिसपैण्डन्सी के सिद्धान्त लागू होते है ऐसे अप्रभावी, निष्प्रभावी, अवैध व अनाधिकृत बेचाननामा है जिससे प्रतिवादी संख्या 2 के हकों का न तो सृजन हुआ और न वादीगण के अधिकारों का निर्वापन ही हुआ।

10. यह है कि वादग्रस्त सम्पति का दस्तावेज पंजीकृत विक्रय विलेख दस्तावेज सं. 693/76 दिनांक 15.09.1976 का असल प्रलेख प्रतिवादीनी के पॉवर एण्ड पजेशन में है, को वादीगण द्वारा विधिक कार्यवाही हेतु मांग की तो प्रतिवादीनी ने दस्तावेज देने से मना कर दिया जिस पर वादीगण ने दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि पंजीयन विभाग से चाही जो दिनांक 06.04.2018 को प्राप्त हुई जो वादपत्र के साथ संलग्न है।

11. यह है कि वादीगण का विधिक अधिकार वादग्रस्त सम्पति मय तामीरात में निहित है यदि उक्त सम्पति का गलत तथ्य बताकर सही तथ्यों को छिपाकर कूटरचना के माध्यम से दस्तावेज रचकर ऐसे दस्तावेजो को आधार बनाकर वादग्रस्त भुखण्ड को प्रतिवादीनी बेचान कर देती है तो वादीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में करना सम्भव नहीं होगा । वादीगण अपनी सम्पत्ति के उपयोग, उपभोग से वंचित रह जायेंगी जिससे वादीगण को आर्थिक क्षति होगी।

12. यह है कि परिशिष्ट 'अ' की सम्पति में वादीगण एवं प्रतिवादीनी 1/3–1/3, 1/3 बराबरी हक की हकदार है जिसमें प्रत्येक वादीनी का 1/3–1/3 हिस्सा है । परिशिष्ट 'ब' में वर्णित चल सम्पति में प्रत्येक वादीनी का 1/3–1/3 हिस्सा है । उपरोक्त सम्पति का बंटवाड़ा करने से प्रतिवादीनी ने मना कर दिया और वादीगण की समझाईश पर कोई ध्यान नहीं दिया उल्टा वादग्रस्त जायदाद को बेचान की धमकी देकर वादीगण को विधिक अधिकारों को चुनौती देने से अब प्रतिवादीनी के साथ वादग्रस्त सम्पति के

सह–संयुक्त में रखना संभव नहीं होने तथा प्रतिवादीनी को ऐसा करने से रोकने हेतु बंटवाड़ा एवं निषेधाज्ञा के अनुतोष का वाद पेश करना आवश्यक हो गया अतः उपरोक्त अनुतोषों का वाद प्रस्तुत है।

13. यह कि वाद हेतुक वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीनी के विरूद्ध माह मार्च 2018 में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त सम्पति का बंटवाड़ा करने का आग्रह करने, उक्त आग्रह को प्रतिवादीनी द्वारा अस्वीकार करने, तदोपरान्त दिनांक 05.04.2018 को वादग्रस्त जायदाद चल सम्पति को बेचने की तथा चल सम्पति परिशिष्ट 'ब' में वर्णित है, को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने, श्री न्यायालय में वादपत्र दिनांक 16.04.2018 को संस्थित करने के बाद दिनांक 25.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को अनाधिकृत तौर से अपने हिस्से से अधिक सम्पति का अन्तरण प्रतिवादी संख्या 2 के हक में करने पर बमुकाम पचपदरा में उत्पन्न हुआ जिससे वादपत्र अन्दर म्याद पेश है।

14. यह है कि मालियत दावा वादीगण के हिस्से की कीमत रूपये 6 लाख होने से तथा तमाम सम्पतियाँ न्यायालय श्री के आर्थिक क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्री के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है । वादीगण व प्रतिवादीनी के संयुक्त हिन्दू खानदान की व वादग्रस्त सम्पति का कभी विधिवत् रूप से बंटवाड़ा नहीं होने तथा वादीगण, वादीगण के पिता, प्रतिवादीनी वादग्रस्त सम्पति में साथ रहने से विधि अनुसार संयुक्त सम्पति पर एक सह–हिस्सेदार का कब्जा व सभी हिस्सेदार का संयुक्त कब्जा व हक माना जाता है तथा संयुक्त सम्पति पर वादीगण का स्वामित्व व आधिपत्य प्रतिवादीनी के साथ संयुक्त रूप से था व है जिससे निर्धारित न्याय शुल्क स्टाम्प रूपये 200/– एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु रूपये 400/– कायम की जाती है जिस पर न्याय शुल्क के मुद्रांक स्टाम्प रूपये 30/– प्रस्तुत है।

15. अतः निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीनी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावें कि (अ) वाद पत्र के पद सं. 3 के माफिक परिशिष्ट 'ब' में वर्णित अचल सम्पति मय तामीरात में तथा परिशिष्ट 'ब' में वर्णित चल सम्पति प्रत्येक वादीनी का 1/3+ 1/3 = 2/3 हिस्सा घोषित किया जावे व बाद घोषणा वादीगण के हिस्से का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर उनका तन्हा कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। (अ(अ) वादपत्र के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में वादग्रस्त सम्पति के सम्पूर्ण भाग का बेचाननामा दिनांक

25.05.2018 को करना बताकर ऐसा अनाधिकृत बेचाननामा क्रमांक 837 दिनांक 25.05.2018 उप पंजीयक पचपदरा के पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 28 में पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 160 के पृष्ठ संख्या 5 से 12 पर चस्पा किया गया है वादीगण के 2/3 हिस्से तक अवैध व अनाधिकृत, अप्रवतनीय करार दिया जावें। (ब) बाद बंटवाड़ा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमायी जावें कि वादीगण के हिस्से के उपयोग, उपभोग में प्रतिवादीनी कोई दखल न करें और न अन्य किसी से दखल करावें और न ही वादग्रस्त जायदाद अचल सम्पति का बेचान करे और न चल सम्पति को खुर्द बुर्द ही करे। (स) अन्य आज्ञा व अनुतोष जो वादीगण के हक पक्ष में हो एवं श्री न्यायालय उचित समझे प्रदान करावें ।

16. प्रतिवादी संख्या 02 ने संशोधित जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि पद संख्या 1 वादपत्र का जवाब है कि प्रतिवादिनी हिन्दू अवश्य है ।

17. यह कि पद संख्या 2 वादपत्र बाबत् पूर्ण रुप से जानकारी नहीं होने से जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथापि प्रतिवादी संख्या 1 उमादेवी चम्पालालजी की पत्नि अवश्य थी ।

18. यह कि पद संख्या 3 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है । प्रतिवादिनी संख्या 1 के पति चम्पालाजजी द्वारा प्रतिवादिनी संख्या 1 के लिए प्रतिवादिनी संख्या 1 स्वयं की रकम से मकान बनाने हेतु कथित बेचाननामा दिनांक 15.09.1976 के द्वारा रूपये 1450/– में मात्र मकान का भूखण्ड (तलीया) यानि कि आवासीय भूखण्ड ही खरीदा गया था। वक्त खरीद मौके पर किसी भी प्रकार की कोई तामीर बनी हुई नहीं थी जो प्रतिफल की राशि की मात्रा एवं बेचाननामा में इस निस्बत दर्ज विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है। दावाकृत जायदाद भूखण्ड की भूमि पर वर्तमान में बने मकान को प्रतिवादिनी सं. 1 स्वयं ने अपने पीहर एवं पूर्व पति से प्राप्त निजी रकम से ही बनवाया था। दावाकृत मकान के निर्माण में प्रतिवादिनी सं. 1 के स्व. पति श्री चम्पालालजी अथवा उनके संयुक्त परिवार की कोई राशि व्यय नहीं हुई थी। दावाकृत जायदाद मकान प्रतिवादिनी सं. 1 के एकल स्वामित्व का था एवं रहा। प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा मकान का निर्माण करवाये जाने के बाद से प्रतिवादिनी सं. 1 के पति स्व. श्री चम्पालालजी अपने जीवनकाल में इस मकान में प्रतिवादिनी सं. 1 के साथ अवश्य रहें थे। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अपूर्ण व अस्पष्ट होने के साथ गलत होने से अस्वीकार है।

19. यह कि पद संख्या 4 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादिनी सं. 1 स्व. चम्पालालजी की विवाहिता पत्नि है। प्रतिवादिनी सं. 1 सन् 2012 की होली के त्यौहार के समय अपने पीहर जैसलमेर गयी हुई थी। प्रतिवादिनी सं. 1 के पति स्व. चम्पालालजी की उस समय तक दोनों आंखें खराब हो जाने से लगभग अन्धे हो गये थे। वादीगण ने प्रतिवादिनी सं. 1 की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादिनी सं. 1 के पति को सुरक्षा के नाम पर मुगालते में रखकर उनसे उनके सहित प्रतिवादिनी सं. 1 के सोने चांदी के आभूषण व गहनें प्राप्त कर लिये तथा यह विश्वास दिलाया कि जब माताजी यानि कि प्रतिवादिनी सं. 1 जैसलमेर से वापस आयेगी तब आभूषण व गहनें उन्हें वापिस दे देगें। प्रतिवादिनी सं. 1 के जैसलमेर से पचपदरा आने पर उसे उक्त तथ्यों की जानकारी हुई। स्व. श्री चम्पालालजी एवं प्रतिवादिनी सं. 1 ने वादीगण द्वारा उक्त प्राप्त किये आभूषणों व गहनों को वापस देने हेतु कहा परन्तु वापस देने से इन्कार कर दिया समझाईश की गयी परन्तु वादीगण टस से मस नहीं हुई । स्व. चम्पालालजी ने परिवार की मान मर्यादा के दृष्टिगत व समाज में बदनामी के डर से कोई कार्यवाहीं नहीं की । प्रतिवादिनी सं. 1 को भी कोई कार्यवाहीं न करने हेतु समझाया जिस पर प्रतिवादिनी सं. 1 ने भी कोई कार्यवाहीं नहीं की, सभी ने एक दूसरे से सम्बन्ध तोड़ दिये व आना जाना तथा एक दूसरे से मिलना जुलना बन्द कर दिया। स्व. चम्पालालजी की उनके जीवनकाल में सम्पूर्ण सेवा चाकरी, देखरेख वगैरा एकमात्र प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा ही की गयी थी। स्व. चम्पालालजी अपने जीवन के अन्तिम तीन साल से भी ज्यादा समय तक आंखों की बीमारी के साथ दमा एवं टीबी की बीमारी से ग्रसित थे। घर में आय का कोई स्त्रोत नहीं था। प्रतिवादिनी सं. 1 ने समय–समय पर गणपतलाल पुत्र श्री बाबुलाल घांची, वीरमदेव पुत्र बाबुलाल सोनी, सोहनलाल पुत्र घीसुलाल घांची तथा भाई रिश्तेदारान वगैरा से रकम उधार लेकर स्व. श्री चम्पालालजी का पचपदरा, बालोतरा एवं जोधपुर के अस्पतालों में ईलाज भी प्रतिवादिनी सं. 1 ने ही करवाया था। वादीगण तो अपने ससुराल बालोतरा ही रहती थी। वादीगण द्वारा स्व. श्री चम्पालालजी की सेवा चाकरी एवं देखरेख करना तो बहुत दूर की बात है अपितु स्व. चम्पालालजी द्वारा अपने अन्तिम दिनों में कभी–कभी अपनी बेटियां वादीगण से मिलने की ईच्छा जाहिर करने पर उन्हें आकर मिलने का समाचार किया जाता परन्तु फिर भी कहीं गहने वापस नहीं देने पड़ जाये इस डर से वादीगण स्व. चम्पालालजी के अन्तिम दिनों में भी उनसें मिलने के लिये भी आने के लिये तैयार नहीं थी। फिर जब प्रतिवादिनी सं. 1 एवं स्व. चम्पालालजी ने स्पष्ट कहा कि उनके

द्वारा गहने वापस देने की मांग नहीं की जायेगी तो वादीगण स्व. चम्पालालजी से मिलने के लिये पचपदरा आयी थी। स्व. चम्पालालजी का वादीगण के प्रति उक्त कारण से लगाव कम हो गया था तथा वादग्रस्त जायदाद मे वादीगण का कोई हक व स्वामित्व भी नही रहा।

20. यह कि पद संख्या 5 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादिनी सं. 1 के पति चम्पालालजी की दिनांक 17.02..2017 को मृत्यु अवश्य हुई परन्तु उन्होनें मृत्यु पूर्व वादीगण, प्रतिवादिनी सं. 1 एवं परिवार तथा आसपास के मौजीज व्यक्तियों के रूबरू पूर्णतया होश हवास में अपनी अन्तिम ईच्छा जाहिर की थी कि दावाकृत मकान का तलीया (भूखण्ड) प्रतिवादिनी सं. 1 के मकान बनाने हेतु खरीदा था तथा मकान भी प्रतिवादिनी सं. 1 ने अपनी रकम से ही बनाया तथा यह मकान प्रतिवादिनी सं. 1 के एकल मालिकाना का रहेगा जिसमें वादीगण का कोई हक न तो है तथा न भविष्य में मांग करेगी तथा इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्राप्त किये गये आभूषण व गहनें अब से वादीगण के है तथा रहेगें जिन्हें प्रतिवादिनी सं. 1 वापस पाने हेतु भविष्य में मांग न करेगी। इस पर वादीगण एवं प्रतिवादिनी सं. 1 भी सहमत हुई थी तथा चम्पालालजी को उनकी अन्तिम ईच्छा का मान रखने बाबत आश्वस्त किया था। स्व. चम्पालालजी को संयुक्त हिन्दू परिवार से किसी प्रकार की सम्पतियां प्राप्त होनें की प्रतिवादिनी सं. 1 को कोई जानकारी नहीं है तथा न ऐसी कोई चल अथवा अचल सम्पतियां प्रतिवादिनी सं. 1 के पास ही है। स्व. चम्पालालजी एवं प्रतिवादिनी सं. 1 के सोने–चांदी के आभूषण वादीगण के पास ही है। स्व. चम्पालालजी के सोने–चांदी के कोई आभूषण प्रतिवादिनी सं. 1 के पास नहीं है। चम्पालालजी की मृत्यु के समय उनके पास कोई नकदी रकम ही नहीं थी। अलबत्ता स्व. चम्पालालजी ने अपने जीवनकाल में वादीगण का विवाह करने, दहेज व अन्य सामान देने, सामाजिक रीति रीवाज अनुसार आणा डालने, मायरा करने, ढूण्ढ़ करने वगैरा हेतु अपनी कृषि भूमि का बेचान किया तथा प्राप्त प्रतिफल की राशि को इसी अनुसार व्यय किया तथा वादीगण के नाम से कृषि भूमि को खरीदकर एवं अन्य प्रकार (बक्शीश) से वादीगण को अवश्य दी थी। दावाकृत सम्पति एवं इस पद में उल्लेखित किसी भी सम्पति में (वादीगण द्वारा प्राप्त किये हुए सोने चांदी के आभूषण के अतिरिक्त) अन्य किसी सम्पति, भूमि अवाप्ति प्रकरण में प्रतिकर की प्राप्त होने वाली राशि वगैरा में वादीगण के न तो कोई अधिकार निहित ही हुए है तथा न कोई अधिकार ही है।

21. यह कि पद संख्या 6 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादिनी सं. 1 का वादीगण के प्रति कभी बेरूखा व्यवहार नहीं रहा तथा प्रतिवादिनी सं. 1 ने वादीगण को प्रारम्भ से ही जायन्दा पुत्रियों के समान माना तथा इसी अनुसार सम्मान एवं दर्जा दिया। यहां यह लिखना उचित होगा कि जब प्रतिवादिनी सं. 1 की स्व. चम्पालालजी से शादी हुई थी उस समय वादीगण की उम्र मात्र कमशः लगभग 07 साल एवं 03 साल ही थी। प्रतिवादिनी सं. 1 ने ही वादीगण का बतौर माता लालन–पालन कर उन्हें बड़ा किया तथा उनके विवाह, आणा–टाणा, मायरा, ढूण्ढ एवं अन्य सामाजिक समारोह किये तथा प्रत्येक कार्य में प्रतिवादिनी ने वादीगण की माता होने के अपने दायित्वों का सफल निर्वहन किया तथा वादीगण को कभी यह महसूस होने नहीं दिया कि प्रतिवादिनी सं. 1 उसकी सौतेली माता है। प्रतिवादिनी सं. 1 के वादीगण के प्रति सुव्यवहार के कारण लोग, रिश्तदार, पाड़ौसी वगैरा तो प्रतिवादिनी सं. 1 को वादीगण की सगी जायन्दा माता ही समझते थे। परन्तु वादीगण द्वारा लालच से वशीभूत होकर अपने पिता को गुमराह कर उनसे प्रतिवादिनी सं. 1 सहित के सोने–चांदी के आभूषण व गहनें प्राप्त कर लेने के बाद से वापस नहीं देने की नीयत से वादीगण स्वयं ने अपने पिता के जीवनकाल में ही अपने पिता एवं प्रतिवादिनी सं. 1 से सम्बन्ध खराब किये थे। प्रतिवादिनी सं. 1 के पति पक्के धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे जो पुत्र–पुत्री में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करते थे। प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा उन्हें कभी–कभी एक पुत्र गोद लेने का कहा जाता तो वह कहते थे कि जब भगवान को उन्हें पुत्र सुख देना मंजूर ही नहीं था व शायद इसी कारण से पुत्र नहीं हुआ है तो पुत्र की आकांक्षा करना भी उचित नहीं है। प्रतिवादिनी सं. 1 के पति की कभी भी किसी को गोद लेने की न तो कभी ईच्छा रही तथा न थी। प्रतिवादिनी सं. 1 के पति की मृत्यु के बाद कभी भी किसी को गोद लेने या न लेने की कभी कोई चर्चा भी नहीं हुई तथा न प्रतिवादिनी सं. 1 के समक्ष कभी ऐसा कोई प्रस्ताव या सुझाव ही आया।

22. यह कि पद संख्या 7 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है। दावाकृत जायदाद मकान की कीमत बढने व इस कारण से कुछ लोगो का वादीगण से अदावदी रखना या किन्हीं लोगो द्वारा प्रतिवादिनी सं. 1 को बहकावे में लेकर वादीगण के विरूद्ध उकसाना अथवा प्रतिवादिनी सं. 1 के मन में लालच उत्पन्न हो जाना अथवा कूटरचित दस्तावेज रचने का उपक्रम करने के तथ्य गलत होने के साथ पूर्णतया निराधार है। प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा वादपत्र के इस पद में वर्णित किसी भी जायदाद को खुर्द बुर्द करने का उपक्रम शुरू करना अथवा वादीगण द्वारा प्रतिवादिनी सं. 1 से समझाईश करना अथवा

प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा जायदाद का विक्रय करने की धमकी देना वगैरा तथ्य भी असत्य एवं निराधार है। अलबत्ता दावाकृत जायदाद मकान प्रतिवादिनी सं. 1 के पुराने आधिपत्य एवं एकल स्वामित्व का होने से ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा वादीगण की जानकारी में प्रतिवादिनी सं. 1 के हक में नियमानुसार आबादी भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा क्रमांक 073 दिनांक 08.05.2017 का अवश्य जारी किया गया है जो उप–पंजीयक पचपदरा के कार्यालय में क्रम संख्या 201703082102052 पर दिनांक 19.12.2017 को पंजीबद्ध किया हुआ है जिससे भी उपरोक्त जायदाद प्रतिवादी सं. 1 के मालिकाना हक की हुई तथा है । प्रतिवादिनी 74 साल की वृद्धा होने के साथ पति की मृत्यु के बाद पिछले साल भर से बीमार भी रहने से तथा पचपदरा में उसकी सेवा साकरी करने वाला कोई न होने से तथा उसके स्वयं के भरण–पोषण व आय का कोई साधन न होने से तथा पति की मृत्यु बाद सामाजिक रीति रिवाज अनुसार किये गये धार्मिक क्रिया कर्म में उधार प्राप्त व्यय की गयी राशि एवं अपने पति के ईलाज हेतु पूर्व में उधार ली गयी राशि की पुनः अदायगी हेतु प्रतिवादिनी सं. 1 के लिए अपने स्वामित्व का दावाकृत मकान बेचना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। तथापि प्रतिवादिनी सं. 1 ने दावाकृत मकान के बेचान का सौदा करने से पूर्व वादीगण को मकान बेचने की उपरोक्त अत्यन्त आवश्यकता से अवगत करवाया तथा वादीगण से आग्रह किया कि वादीगण उपरोक्त कर्जे का चुकारा कर लेवें तथा प्रतिवादिनी सं. 1 के जीवनकाल तक उसका भरण–पोषण एवं आवश्यकता अनुसार सेवा चाकरी करे तो प्रतिवादिनी सं. 1 अपने स्वामित्व के मकान को वादीगण को देने तथा उनके नाम से रजिस्ट्री करवाने हेतु तैयार है परन्तु वादीगण इस हेतु किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हुए क्योंकि वादीगण के पति कर्जा चुकाने हेतु प्रतिवादिनी सं. 1 को किसी भी प्रकार से रकम देने हेतु तैयार नहीं थे तथा वादीगण के ससुराल बालोतरा में होने से उनके द्वारा वादीगण की सेवा चाकरी हेतु प्रतिवादिनी सं. 1 के साथ पचपदरा रहने में असमर्थता बतायी तथा वादीगण ने पारिवारिक कारणों से प्रतिवादिनी सं. 1 को अपने ससुराल में भी रखने में असमर्थता बतायी जिस पर वादीगण स्वयं ने प्रतिवादिनी सं. 1 को मकान बेचकर पीहर जैसलमेर जाने की सलाह दी ताकि प्रतिवादिनी सं. 1 की पर्याप्त देखरेख हो सके। उपरोक्त पर प्रतिवादिनी सं. 1 ने दावाकृत जायदाद मकान का वादीगण की जानकारी में लिखित बेचान इकरार दिनांक 20.03.2018 के द्वारा प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल को सप्रतिफल रूपये 13,56,000/– में बेचान कर व प्रतिफल की राशि के पेटे रूपये 1,96,000/– नकद प्राप्त कर बेचान की गयी जायदाद का कब्जा उक्त क्रेता

को सुपुर्द कर दिया था। तदोपरान्त प्रतिवादिनी सं. 1 ने उक्त क्रेता से माफिक रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 25.05.2018 के प्रतिफल की बकाया राशि रूपये 11,60,000/– जरीये चैक्स के प्राप्त कर उक्त क्रेता को उक्त अनुसार दिनांक 20.03.2018 को बेचान की गयी जायदाद के बेचाननामा का प्रलेख भी निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया था। दावाकृत जायदाद बेचान दिनांक 20.03.2018 से उक्त क्रेता प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल की सप्रतिफल खरीदशुदा, आधिपत्य एवं स्वामित्व की जायदाद है। दावाकृत जायदाद पर वादीगण की जानकारी में दिनांक 20.03.2018 से उक्त प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल का सपरिवार रहवास एवं आधिपत्य है तथा प्रतिवादिनी सं. 1 का रहवास अपने पीहर जैसलमेर में है। इसी कारण से वादीगण ने दावा में प्रतिवादिनी सं. 1 का पत्ता जैसलमेर का लिखकर सम्मन भी जैसलमेर के पत्ते पर ही तामील करवाया है। प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा किसी दस्तावेज की कोई कूटरचना नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादिनी सं. 1 के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड पट्टा एवं प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा उक्त प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल के हक में जायज जरूरत हेतु वादीगण की जानकारी में किये गये सप्रतिफल बेचान के सम्बन्ध में निष्पादित दस्तावेज किसी भी प्रकार से शून्य दस्तावेज नहीं है तथा ऐसे दस्तावेजों में से रजिस्टर्ड पट्टा से प्रतिवादिनी सं. 1 के हक में तथा बेचान के सम्बन्ध में निष्पादित दस्तावेजों से उक्त प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल के हक में वैध हको का सृजन हुआ है तथा प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी अनाधिकृत बेचाननामा निष्पादित नहीं किया है। दावाकृत सम्पूर्ण जायदाद प्रतिवादिनी सं. 1 के एकल स्वामित्व, आधिपत्य एवं पट्टाशुद की जायदाद थी। प्रतिवादिनी सं. 1 को जब उसके पति स्व. चम्पालालजी से किसी भी प्रकार के कोई सोना–चांदी प्राप्त ही नहीं हुए थे तथा न दावाकृत जायदाद में वादीगण का कोई भी हिस्सा अधिकार ही था तो वादीगण द्वारा बंटवाड़ा हेतु कहना अथवा प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा इन्कार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दावाकृत जायदाद में वादीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 अथवा कोई भी हिस्सा होने का तथ्य गलत है।

23. यह कि पद संख्या 8 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है। कथित बेचाननामा दिनांक 15.09.1976 का असल प्रलेख वर्तमान में प्रतिवादिनी सं. 1 के कब्जा में होने का तथ्य गलत है। जहां तक प्रतिवादिनी सं. 1 को याद है उसके अनुसार उक्त असल प्रलेख प्रतिवादिनी सं. 1 के गहनों की पेटी में ही रखा हुआ था। वादीगण द्वारा प्रतिवादिनी सं. 1 के पति स्व. चम्पालालजी को गुमराह कर जब उनसें आभूषण व गहनें प्राप्त किये तो

प्रतिवादिनी सं. 1 के गहनों की पेटी के साथ उक्त असल प्रलेख भी वादीगण के पास चला गया जाने से असल प्रलेख वादीगण के पास ही होना चाहिए। अलबत्ता प्रतिवादिनी सं. 1 के कब्जे में ऐसा कोई असल प्रलेख नहीं है। वादीगण द्वारा द्वारा प्रतिवादिनी सं. 1 से उक्त असल प्रलेख की मांग करना अथवा प्रतिवादिनी द्वारा देने से इन्कार करने के तथ्य असत्य एवं निराधार है।

24. यह कि पद संख्या 9 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है। दावाकृत सम्पति में वादीगण के किसी भी प्रकार से कोई हक निहित नहीं है। दावाकृत जायदाद प्रतिवादिनी सं. 1 की पुरानी कब्जाशुद, पट्टाशुद एवं स्वामित्व की जायदाद होने से तथा प्रतिवादिनी सं. 1 को इस जायदाद का बेचान करने का विधिक अधिकार था। प्रतिवादिनी सं. 1 ने अपने इस अधिकार के अधीन दावाकृत जायदाद को जवाबदावा के पद संख्या 7 में दिये विस्तृत विवरण के अनुसार उक्त प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल को सप्रतिफल बेचान कर दी है। उक्त प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल दावाकृत जायदाद का सप्रतिफल सद्भाविक क्रेता है तथा इस जायदाद का बतौर मालिक उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा किये गये बेचान से वादीगण को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है।

25. यह कि पद संख्या 10 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है। दावाकृत सम्पूर्ण जायदाद प्रतिवादिनी सं. 1 के एकल स्वामित्व, आधिपत्य एवं पट्टाशुद की जायदाद थी। इस जायदाद में वादीगण प्रत्येक का 1/3-1/3 अथवा कोई भी हिस्सा अधिकार होने का तथ्य गलत है। परिशिष्ट 'ब' पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। परिशिष्ट 'ब' में वर्णित कोई भी सोना चांदी प्रतिवादिनी के पति अथवा प्रतिवादिनी सं. 1 के पास न तो कभी रहें तथा न प्रतिवादिनी सं. 1 के पास है। इसके विपरीत जवाब दावा के पद संख्या 4 में दिये विवरण अनुसार प्रतिवादिनी सं. 1 एवं उसके पति के सोने चांदी के आभूषण व गहनें वादीगण के पास है। वादीगण कोई बन्टवाड़ा करवाने की हकदार नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादिनी सं. 1 से बन्टवाड़ा करवाने का कहना अथवा प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा ऐसा करने से इन्कार करने के तथ्य असत्य एवं निराधार है। चूंकि जब प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा जवाब दावा के पद संख्या 7 में दिये विवरण अनुसार दिनांक 20.03.2018 को ही दावाकृत जायदाद का बेचान प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में कर दिया गया था तो प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा जायदाद का बेचान करने की धमकी देने अथवा समझाईश करवाने वगैरा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण द्वारा गलत दावा प्रस्तुत किया गया है।

26. यह कि पद संख्या 11 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है । इस पद में दिये विवरण अनुसार मौजूदा दावा का कोई वाद हेतु पैदा नहीं हुआ है जिससे वादीगण का दावा काबिल खारिज है।

27. यह कि पद संख्या 12 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण द्वारा दावाकृत सम्पति का कम मूल्याकंन किया गया है। दावाकृत सम्पति किसी भी प्रकार से सह–संयुक्त अविभाजित नहीं है। दावाकृत सम्पति के किसी भी भाग पर वादीगण का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं है। दावाकृत सम्पति अविभाजित नहीं होने से बन्टवाड़ा का दावा किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। दावाकृत सम्पति के किसी भी भाग पर वादीगण का कब्जा न होने से तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय शुल्क पूर्णतया अपर्याप्त होने से भी दावा काबिल खारिज है।

28. यह कि पद संख्या 13 वादपत्र गलत होने से अस्वीकार है। जवाब दावा एवं विशेष आपतियों में दर्ज तथ्यों व विवरण से वादीगण का दावा काबिल खारिज है। वादीगण प्रतिवादिनी सं. 1 के विरुद्ध इस पद में दिये विवरण/अनुतोष का कोई निर्णय/डिक्री पाने की अधिकारी नहीं है। वादीगण का वादपत्र मय खर्चा खारिज योग्य है।

29. विशेष आपत्तियों में यह कथन किए है कि प्रतिवादिनी सं. 1 के प्रथम पति हंजारीमलजी की संवत् 2025 (तद्अनुसार सन् 1968) में मृत्यु हो जाने से प्रतिवादिनी सं. 1 विधवा जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रतिवादिनी सं. 1 के द्वितीय पति चम्पालालजी की प्रथम पत्नी श्रीमती मथरादेवी की संवत् 2027 के प्रारम्भ (तद्अनुसार सन् 1970) में मृत्यु होने से चम्पालाल जी भी विधुर जीवन व्यतीत कर रहे थे। जिस पर प्रतिवादिनी सं. 1 का संवत् 2027 के अंत (तद्अनुसार सन् 1971) में उक्त चम्पालालजी से द्वितीय विवाह हुआ। उस समय वादीगण की उम्र क्रमशः लगभग 07 साल एवं 03 साल ही थी तथा प्रतिवादिनी सं. 1 के पति चम्पालालजी एवं वादीगण का रहवास दावाकृत जायदाद मकान के सामने स्थित मकान में था तथा प्रतिवादिनी सं. 1 भी शादी के बाद प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा नया दावाकृत मकान बनाये जाने तक इसी के सामने वाले मकान में ही रही थी। इस मकान के स्वत्व को लेकर प्रतिवादिनी सं. 1 के पति चम्पालालजी एवं उनके चाचा श्री आदाराम के मध्य विवाद था तथा अक्सर मकान खाली करने अथवा जबरदस्ती खाली करवाने की धमकी भी देते थे। यह कि उपरोक्त विवाद पर प्रतिवादिनी सं. 1 ने अपने पति चम्पालालजी से दूसरा मकान बनाने हेतु कहा तो उन्हानें जाहिर किया कि नया मकान बनाने हेतु उनके पास नकद राशि नहीं है। जिस पर प्रतिवादिनी सं.

1 ने अपने पति को इस आशय की सलाह एवं अपनी ईच्छा से अवगत करवाया कि प्रतिवादिनी सं. 1 के पास उसके पीहर एवं पूर्व पति से प्राप्त जो निजी रकम है उससें मकान बनवा देते है। यह कि उपरोक्त पर प्रतिवादिनी सं. 1 के पति चम्पालालजी द्वारा प्रतिवादिनी सं. 1 स्वयं की रकम से प्रतिवादिनी सं. 1 के लिये मकान बनाने हेतु दावाकृत जायदाद मकान के खुला तलीया (भूखण्ड) को मात्र रूपये 1450/– में खरीदा। तदोपरान्त दावाकृत जायदाद भूखण्ड की भूमि पर वर्तमान में बने मकान को प्रतिवादिनी सं. 1 स्वयं ने अपने पीहर एवं पूर्व पति से प्राप्त निजी रकम से बनवाया। दावाकृत मकान के निर्माण में प्रतिवादिनी सं. 1 के स्व. पति चम्पालालजी अथवा उनके संयुक्त परिवार की कोई राशि व्यय नहीं हुई थी। दावाकृत जायदाद मकान प्रतिवादिनी सं. 1 के एकल स्वामित्व का था एवं रहा। यह कि दावाकृत जायदाद मकान एवं उसकी भूमि किसी भी प्रकार से वादीगण की सहदायिकी सम्पति न तो रही तथा न है एवं इसी कारण से दावाकृत सम्पति में वादीगण का किसी भी प्रकार से किसी हित का न्यागमन नहीं हुआ है। अतः वादीगण को दावाकृत जायदाद मकान के बंटवाड़ा का दावा करने का कोई अधिकार न होने से बंटवाड़ा का दावा किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है।

30. यह कि उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिवादिनी सं. 1 के पति चम्पालालजी की दिनांक 17.02.2017 को मृत्यु होने से पूर्व उन्होनें वादीगण, प्रतिवादिनी सं. 1 एवं परिवार तथा आसपास के मौजीज व्यक्तियों के रूबरू पूर्णतया होश हवास में अपनी अन्तिम ईच्छा जाहिर की थी कि दावाकृत मकान का तलीया (भूखण्ड) प्रतिवादिनी सं. 1 के मकान बनाने हेतु प्रतिवादिनी सं. 1 की रकम से ही खरीदा था तथा मकान भी प्रतिवादिनी सं. 1 ने अपनी रकम से ही बनाया तथा यह मकान प्रतिवादिनी सं. 1 के एकल मालिकाना का है व रहेगा जिसमें वादीगण का कोई हक न तो है तथा न भविष्य में मांग करेगी तथा इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्राप्त किये गये आभूषण व गहनें अब से वादीगण के है तथा रहेगें जिन्हें प्रतिवादिनी सं. 1 वापिस पाने हेतु भविष्य में मांग न करेगी। वादीगण एवं प्रतिवादिनी सं. 1 भी चम्पालालजी की अन्तिम ईच्छा से सहमत हुई थी तथा उन्हें उनकी अन्तिम ईच्छा का मान रखने बाबत आश्वस्त किया था जिससें भी वादीगण अब इसके विरूद्ध कोई कथन करने से एस्टोप्ड है।

31. यह कि स्व. चम्पालालजी के संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता एक मात्र पुरूष सदस्य श्री चम्पालालजी ही थे। चम्पालालजी की मृत्यु पर उनके परिवार में अन्य कोई

पुरूष सदस्य न होने से उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की निर्विवाद कर्ता वरिष्ठ महिला प्रतिवादिनी बनी तथा है।

32. यह कि उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिवादिनी 74 साल की वृद्धा होने के साथ पति की मृत्यु के बाद पिछले साल भर से बीमार रहने से पचपदरा में उसकी सेवा चाकरी करने वाला कोई न होने से, उसके स्वयं के भरण–पोषण व आय का कोई साधन न होने से, पति की मृत्यु बाद सामाजिक रीति रिवाज अनुसार किये गये धार्मिक क्रिया कर्म में उधार प्राप्त व्यय की गयी राशि एवं अपने पति के ईलाज हेतु पूर्व में उधार ली गयी राशि की पुनः अदायगी हेतु प्रतिवादिनी सं. 1 के लिए अपने स्वामित्व का दावाकृत मकान बेचना अत्यन्त ही आवश्यक हो जाने से, वादीगण भी बेचान करने में सहमत होने से एवं प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा अपनी उक्त हैसियत से उक्त वास्तविक जायज जरूरत हेतु किया गया बेचान एवं निष्पादित दस्तावेज किसी भी प्रकार से शून्य नहीं है तथा ऐसे दस्तावेज के कायम रहते यानि कि रद्द करवायें बिना वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है।

33. यह कि उपरोक्त के अतिरिक्त दावाकृत जायदाद सम्पूर्ण मकान की कीमत से भी कई गुना ज्यादा राशि वादीगण को उनके द्वारा प्राप्त गहनों एवं आभूषण से तथा सामाजिक रीति रिवाज अनुसार वादीगण के विवाह एवं तदोपरान्त आणा–टाणा, मायरा, ढूण्ढ वगैरा के सामाजिक रीति रिवाज अनुसार दिये गये दहेज, सामान व नगदी वगैरा देने से तथा वादीगण के नाम से कृषि भूमि को खरीदकर एवं अन्य प्रकार (बक्शीश) से वादीगण को कृषि भूमि प्राप्त हो जाने से वादीगण दावाकृत जायदाद मकान में कोई हक क्लेम करने से एस्टोप्ड है।

34. यह कि प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा दावाकृत जायदाद मकान का रजिस्टर्ड पट्टा क्रमांक 073 दिनांक 08.05.2017 वादीगण की जानकारी में ही ग्राम पंचायत से नियमानुसार प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादिनी सं. 1 ने दावाकृत जायदाद को वादीगण की जानकारी में ही जायज जरूरत हेतु दिनांक 20.03.2018 को प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल को सप्रतिफल बेचान किया व जायदाद का उक्त क्रेता सप्रतिफल सद्भाविक क्रेता है फिर भी वादीगण ने मात्र उक्त क्रेता प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल से नाजायज रकम पाने की नीयत से यह गलत दावा किया है।

35. यह कि वादीगण ने वादपत्र में बन्टवाड़ा के दावा हेतु तात्विक तथ्यों का कथन नहीं किया है न आवश्यक विशिष्टियों का समावेश ही किया है तथा न दावा सिविल

प्रक्रिया संहिता के परिशिष्ट "क" में निर्धारित प्ररूप में है जिससें इसी बिनाय पर दावा काबिल खारिज है।

36. यह कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 (ड़) के प्रावधानों के तहत वादीगण के लिये यह आवश्यक था कि वह वादपत्र में वाद हेतुक गठित होने के तथ्य और ऐसे वाद हेतुक कब पैदा हुए उनके विवरण को अन्तर्विष्ट करता। यह एक आज्ञापक प्रावधान है किन्तु वादीगण ने वादपत्र में वाद हेतुक को प्रकट नहीं किया है जिससें वादीगण का दावा इसी बिनाय पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 14(ड़)/आदेश 7 नियम 11 (क) के प्रावधानों के तहत खारिज नामंजूर करने योग्य है।

37. प्रतिवादिया संख्या 01 की ओर से पूर्व में वादोत्तर प्रस्तुत किया गया था परन्तु संशोधित वाद पत्र पेश करने के बाद संशोधित वदोत्तर पेश करना नहीं चाहा जिस बाबत आदेशिका दिनांक 20.05.2025 में उल्लेख है ।

अतः प्रतिवादी सं. 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

38. प्रतिवादिया संख्या 1 ने पूर्व में जवाब दावा पेश किया था तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 ने संशोधित जवाब दावा पेश किया है । प्रतिवादिया संख्या 1 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब दावे के कथन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश संशोधित जवाब दावे के कथनों से हूबहू होने से पृथक से लिखा नहीं गया है ।

39. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकियात विरचित की गई :–

1. आया वादपत्र के पद संख्या 2(परिशिष्ट 'अ') में वर्णित नाप एवं पड़ौस की सम्पत्ति स्व. चम्पालालजी के स्वामित्व की थी ?

–––जिम्मे वादीनी

2. आया वादग्रस्त सम्पत्ति जिसका विवरण वादपत्र के पद संख्या 2 में किया गया है जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 हक हिस्सा है जिसका Metes and bounds से विभाजन करवाने की अधिकारिणी है ?

–––जिम्मे वादीनी

3. आया वादपत्र के परिशिष्ट 'ब' में वर्णित अनुसार स्व. चम्पालालजी के जेवरात जिसमें 5 किलो चांदी व 16 तोला सोना प्रतिवादिया सं. 1 के

पास है जिसमें वादीनी 1/3–1/3 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

–––जिम्मे वादीनी

4. आया प्रतिवादिया सं. 1 द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का दिनांक 25.05.2016 को प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में किया गया बेचाननामा (Registered Sale Deed) वादीगण उनके हक हिस्से तक शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने की अधिकारिणी है ?

–––जिम्मे वादीनी

5. आया वादीनी उनके हिस्से में आयी सम्पत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

–––जिम्मे वादीनी

6. आया वादग्रस्त सम्पत्ति वाला भूखण्ड प्रतिवादिया सं. 1 ने उसी रकम से क्रय किया एवं भूखण्ड पर उसकी स्वयं की आय से मकान बनाया?

–––जिम्मे प्रतिवादिया सं. 1

7. आया प्रतिवादी सं. 2 सद्भाविक क्रेता है ?

–––जिम्मे प्रतिवादी सं. 2

8. अनुतोष ?

40. साक्ष्य वादीगण में वादीया वैयजन्तीदेवी पीडब्ल्यू 01 व राजेन्द्र कुमार पीडब्ल्यू 02 के शपथ पत्र पर बयान करवाये गये । वादीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त मकान, भूखण्ड को चम्पालाल द्वारा खरीद का दस्तावेज प्रदर्श 01, चम्पालालजी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 02, गवाह राजेन्द्रकुमार का पचपदरा में रहवास बाबत् राशन कार्ड प्रदर्श 03 व उसकी छायाप्रति प्रदर्श 03 ए, गवाह राजेन्द्र कुमार का असल पहचान पत्र प्रदर्श 04 व उसकी छायाप्रति प्रदर्श 04 ए प्रदर्शित करवाये गये ।

41. साक्ष्य प्रतिवादीगण में डीडब्ल्यू 01 प्रतिवादी भंवरलाल, डीडब्ल्यू 02 उमादेवी के शपथ पत्र पर बयान करवाये गये । प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज में वादग्रस्त जायदाद के संदर्भ में उमादेवी के पक्ष में जारी पट्टा प्रदर्श ए 01 व उसकी छायाप्रति प्रदर्श ए 01 ए, उमादेवी के द्वारा वादग्रस्त जायादाद का बेचान इकरारनामा भंवरलाल के पक्ष में प्रदर्श ए 02 व उसकी छायाप्रति प्रदर्श ए 02 ए, उमादेवी द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष

में पंजीबद्ध बेचाननामा प्रदर्श ए03 व उसकी छायाप्रति प्रदर्श ए03ए प्रदर्शित करवाये गये है ।

42. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई ।

43. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादग्रस्त संपत्ति वादीगण के पिता एवं प्रतिवादिया संख्या 01 के पति स्वर्गीय चम्पालालजी की खरीदशुदा संपत्ति थी । चम्पालालजी ने वादग्रस्त संपत्ति जरिए विक्रय विलेख प्रदर्श 01 के श्री हीरालाल पुत्र श्री अमरारामजी से क्रय की थी । चम्पालालजी की दिनांक 17.02.2017 को निर्वसीयती मृत्यु हो गई तत्पश्चात् प्रतिवादिया संख्या 01 ने वादग्रस्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत, पचपदरा से मेल मिलाप कर स्वयं के नाम का पट्टा जारी करवा दिया एवं उस पट्टे के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति जिसमें वादीगण जो कि मृतक की पुत्रियाँ हैं, प्रत्येक का 1/3–1/3 हक हिस्सा निहित, प्रतिवादी संख्या 02 को बिना अधिकार के विक्रय किया है । प्रतिवादिया संख्या 01 अकेले को वादग्रस्त संपत्ति विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं था जिससे प्रतिवादिया संख्या 01 के द्वारा वादीगण के हक हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख शून्य एवं निष्प्रभावी हैं ।

44. यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादिया संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय करने की धमकी दिए जाने पर वादीगण ने हस्तगत वाद दिनांक 16.04.2018 को प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी प्रतिवादिया संख्या 01 को होने पर उसने प्रतिवादी संख्या 02 के हक में बिना अधिकार के विक्रय विलेख निष्पादित किया जो विक्रय विलेख निरस्त योग्य है । प्रत्येक वादीगण का वादग्रस्त संपत्ति में 1/3–1/3 हक हिस्सा होने से वादीगण वादग्रस्त संपत्ति का विभाजन करवाकर उनके हिस्से में आई संपत्ति के उपयोग, उपभोग में प्रतिवादीगण हस्तक्षेप नहीं करें इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं । वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से वादीगण ने उसके जिम्मे की सभी तनकियातों को साबित किया है । अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर माफिक अनुतोष डिक्री करने का निवेदन किया ।

45. वादीगण के अधिवक्ता की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादीगण एवं प्रतिवादिया संख्या 01 के मध्य केवल प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किसी पुत्र को गोद नहीं लेने के कारण विवाद हुआ था इस बात को लेकर वादीगण ने यह वाद झूँठे कथनों के आधार पर संस्थित किया है ।

46. यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादिया संख्या 01 के हक में वादग्रस्त संपत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत, पचपदरा द्वारा प्रदर्श ए 1 ए जारी किया गया था जिसे खारिज करवाए जाने हेतु वादीगण ने निगरानी याचिका प्रस्तुत की थी जो निगरानी खारिज हुई उस आदेश के विरुद्ध वादीगण ने कोई चाराजोही नहीं की जिससे निगरानी में पारित आदेश अंतिम हो चुका है एवं जिस पट्टे के आधार पर प्रतिवादिया संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति विक्रय करना बताया है, वह पट्टा अस्तित्व में है ऐसी स्थिति में पट्टे के अस्तित्व में रहते हुए वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है ।

47. यह भी तर्क दिया कि वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादिया संख्या 01 ने उसकी निजी आय से क्रय की थी । प्रतिवादिया संख्या 01 के पति चम्पालालजी बीमार रहते थे जिनके इलाज हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से विवादित संपत्ति बेचान की गई थी । प्रतिवादिया संख्या 01 वादग्रस्त संपत्ति की एक मात्र स्वामिनी थी जिससे संपत्ति का विक्रय किया था । वादग्रस्त संपत्ति में वादीगण का कोई अधिकार, हित व हिस्सा नहीं है।

48. यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 02 वादग्रसत संपत्ति का सद्भाविक क्रेता है एवं प्रतिवादी संख्या 02 ने वादग्रस्त संपत्ति का पट्टा अकेले प्रतिवादिया संख्या 01 के नाम से होने से संपत्ति को क्रय किया था । वादीगण का वादग्रस्त संपत्ति पर कोई हक अधिकार नहीं होने एवं वाद प्रस्तुति का भी कोई आधार नहीं होने से प्रस्तुत वाद अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

49. उभय पक्षकारान की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया जिस पर तनकीवार मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार है:–

<u>तनकी संख्या 01</u>

आया वादपत्र के पद संख्या 2(परिशिष्ट 'अ') में वर्णित नाप एवं पड़ौस की सम्पत्ति स्व. चम्पालालजी के स्वामित्व की थी ?

50. इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे था जिसके द्वारा वादीगण को यह साबित करना था कि वादग्रस्त संपत्ति स्वर्गीय चम्पालालजी के स्वामित्व की थी । इस तनकी को साबित करवाए जाने हेतु वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 01 वादिया वैजयन्ती व पीडब्ल्यू 02 राजेन्द्र कुमार को परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विक्रय विलेख प्रदर्श 01 व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 02 प्रदर्शित करवाए हैं ।

51. वादीगण के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि वादग्रस्त संपत्ति वादीगण के पिता एवं प्रतिवादिया संख्या 01 के पति चम्पालालजी ने क्रय की थी जिसके विपरीत प्रतिवादीगण का यह कथन है कि वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादिया संख्या 01 ने उसकी निजी आय से क्रय की थी ।

52. पीडब्ल्यू 01 वैजयन्तीदेवी ने वाद–पत्र में उल्लेखित कथनों को ही मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में दोहराते हुए कथन किए हैं । जिरह में इस कथन को सही बताया है कि वादग्रस्त जायदाद खरीद के समय उसकी उम्र 03 वर्ष व बहन पुष्पा (वादिया संख्या 02) की उम्र 07 वर्ष थी । इस कथन को गलत बताया है कि वादग्रस्त भूखण्ड उमादेवी के साथ चम्पालालजी का विवाह होने के बाद खरीदा हो । इस कथन को सही बताया है कि प्रतिवादिया संख्या 01 उमादेवी के नाम से जारी पट्टे के संबंध में कलेक्टर न्यायालय में निगरानी की थी जो खारिज हो गई है तथा कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी । इस कथन को भी सही बताया है कि उसकी माताजी के द्वारा पट्टा बनाया उसकी जानकारी उसे हो चुकी थी । इस कथन को गलत बताया है कि ग्राम पंचायत के रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूखण्ड उमादेवी के मालिकाना का हो । इस कथन को सही बताया है कि उसके पिता के द्वारा जो संपत्ति उमादेवी को दी गई है उसमें उसे इस बात की आपत्ति है कि उनके द्वारा कोई गोद पुत्र नहीं लिया गया इसके अलावा कोई आपत्ति नहीं थी ।

53. पीडब्ल्यू 02 राजेन्द्र कुमार ने उसके मुख्य परीक्षण में वादग्रस्त संपत्ति चम्पालालजी के मालिकाना की होना एवं उनका निर्वसीयती मृत्यु होना जिसमें वादीगण का 2/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 01 का होना कथन किया है । जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि वादग्रस्त संपत्ति उमादेवी के द्वारा खरीदी गई हो । इस कथन को भी सही बताया है कि वादग्रस्त जायदाद चम्पालालजी द्वारा स्वअर्जित आय से खरीदी हो ऐसा कोई दस्तोवज न तो उसने देखा है न देखने का काम पड़ा है । इस कथन को सही बताया कि चम्पालालजी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् वादग्रस्त जायदाद में उमादेवी द्वारा शांतिपूर्वक निवास किया जाता था तथा वादग्रस्त जायदाद का पट्टा उमादेवी के नाम से जारी किया उसमें वैजयन्तीदेवी और पुष्पादेवी द्वारा कोई आपत्ति की हो ऐसी बात उसे नहीं बताई ।

54. वादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति चम्पालालजी के स्वामित्व की होना जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 हक होना बताया है । वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में

प्रदर्श 01 विक्रय विलेख प्रस्तुत किया है जिसमें भूखण्ड पचपदरा सिटी में खीमाणियों का चौक में स्थित होना जिसके उत्तर में प्लॉट का दरवाजा व आगे सड़क, दक्षिण में श्री मोहनलालजी मदाणी का प्लॉट, पूर्व दिशा में कानाराम पुत्र गोकुलजी नाई का मकान व पश्चिम में खेताराम पुत्र प्रभुजी माली का मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 568.75 वर्ग गज होना बताया है। वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा प्रदर्श ए 1 ए पेश किया है जिसमें दर्ज चतुर्दशी वही है जो विक्रय विलेख प्रदर्श 01 में दर्शाई गई है जिससे यह तथ्य साबित है कि वादग्रस्त भूखण्ड वही है जो चम्पालालजी द्वारा हीरालाल पुत्र अमरारामजी से जरिए विक्रय विलेख प्रदर्श 01 के दिनांक 15.09.1976 को क्रय किया था।

55. डीडब्ल्यू 02 उमादेवी ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में वादोत्तर में किए गए कथनों को ही दोहराते हुए कथन किए हैं। जिरह में इस कथन को सही बताया है कि प्रदर्श 01 में खाली भूखण्ड का बेचान नहीं होकर मकान बेचान का भी लिखा हुआ है, अजखुद कहा कि तलिया (भूखण्ड) ही खरीद किया था। इस कथन को भी सही बताया है कि वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में कोई भी विलेख निष्पादित नहीं किया। इस कथन को भी सही बताया है कि विवादित संपत्ति की चम्पालालजी ने उसके पक्ष में वसीयत नहीं लिखी एवं चम्पालालजी के वह, वैजयन्ती व पुष्पा तीन वारिशान हैं। इस कथन को भी सही बताया है कि उसके द्वारा मकान बनाया गया हो उस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। इस कथन को भी सही बताया है कि वादग्रस्त संपत्ति उसने एकल स्वामित्व के तौर पर खरीदी हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस कथन को भी सही बताया है कि वादग्रस्त संपत्ति पूर्व में हीरालाल सोनी की थी फिर चम्पालालजी के पक्ष में रजिस्ट्री हुई थी। वादग्रस्त संपत्ति कभी ग्राम पंचायत की नहीं रही। इस भूखण्ड का पट्टा प्रदर्श ए 1 ए प्रतिवादिया संख्या 01 उमादेवी के नाम ग्राम पंचायत, पचपदरा द्वारा दिनांक 08.05.2017 को जारी किया गया है जो 200/– रुपये में जारी किया गया है।

56. प्रतिवादिया उमादेवी की साक्ष्य से वादग्रस्त उक्त भूखण्ड प्रतिवादिया संख्या 01 द्वारा उसकी निजी आय से क्रय किया हो साबित नहीं होता है। विक्रय विलेख प्रदर्श 01 व पट्टा प्रदर्श ए 1 ए के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त संपत्ति जिसका पट्टा ग्राम पंचायत, पचपदरा द्वारा दिनांक 08.05.2017 को उमादेवी के नाम जारी किया गया है वह भूखण्ड स्वर्गीय चम्पालालजी द्वारा क्रय किया था। विक्रय विलेख प्रदर्श 01 स्व. चम्पालालजी के नाम से है एवं उसमें प्रतिफल राशि चम्पालालजी द्वारा ही दिये जाने का

उल्लेख है ऐसी स्थिति में यह उपधारणा है कि चम्पालालजी की आय से ही भूखण्ड मय तामीर खरीदी थी । प्रतिवादिया का यह कहना की उसकी आय से खरीद की थी ऐसी स्थिति में यह सिद्ध करने का भार प्रतिवादिया पर है कि उसकी आय से चम्पालालजी ने भूखण्ड मय तामीर क्रय की थी, को साबित करती परन्तु प्रतिवादिया यह तथ्य साबित करने में असफल रही है ।

57. डीडब्ल्यू 01 भंवरलाल ने उसके मुख्य परीक्षण में वादोत्तर में किए गए कथनों की ही पुनरावृत्ति की है । जिरह में यह स्वीकार किया है कि विवादित प्लॉट ग्राम पंचायत का नहीं था अजखुद कहा कि खरीद करने की रकम उमादेवी द्वारा अदा की गई थी । इस गवाह ने वादग्रस्त भूखण्ड खरीद करने की रकम उमादेवी द्वारा अदा करना बताया है परन्तु ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि उमादेवी ने वादग्रस्त भूखण्ड क्रय करने हेतु रकम दी हो और उस रकम से वादग्रस्त भूखण्ड चम्पालालजी के नाम से क्रय किया गया हो ।

58. उपरोक्त विवेचन अनुसार यह तथ्य साबित है कि वादग्रस्त भूखण्ड चम्पालालजी द्वारा क्रयशुदा भूखण्ड था जिससे तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है ।

<u>तनकी संख्या 02</u>

> आया वादग्रस्त सम्पत्ति जिसका विवरण वादपत्र के पद संख्या 2 में किया गया है जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 हक हिस्सा है जिसका Metes and bounds से विभाजन करवाने की अधिकारिणी है ?

59. इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था जिन्हें यह साबित करना था कि वादग्रस्त संपत्ति में वादीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 हक हिस्सा है । वादीगण ने वाद–पत्र व मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह कथन किया है कि वादग्रस्त संपत्ति उनके पिता स्वर्गीय चम्पालालजी द्वारा क्रय की गई थी एवं चम्पालालजी की दिनांक 17.02.2017 को निर्वसीयती मृत्यु हो गई है जिनके पीछे वारिशान में वादीगण एवं प्रतिवादिया संख्या 01 हैं जिससे वाग्रस्त भूखण्ड में प्रत्येक वादीगण का 1/3–1/3 हिस्सा व प्रतिवादिया संख्या 01 का 1/3 हिस्सा है । वादीगण, स्वर्गीय चम्पालाल जी पुत्रियाँ एवं प्रतिवादिया संख्या 01 स्वर्गीय चम्पालालजी की पत्नी है, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है । चम्पालालजी की निर्वसीयती मृत्यु होना वादीगण ने कथन किया है जिस

तथ्य को डीडब्ल्यू 02 उमादेवी ने भी जिरह में स्वीकार किया है । यह भी स्वीकार किया है कि चम्पालालजी ने उसके पक्ष में वसीयत नहीं लिखी थी एवं चम्पालालजी के वारिशान में वह, वैजयन्ती व पुष्पा हैं । इस कथन को भी सही बताया है कि वादग्रस्त संपत्ति उसने एकल स्वामित्व के तौर पर खरीदी हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति चम्पालालजी ने हीरालाल सोनी से जरिए रजिस्ट्री क्रय की थी एवं संपत्ति ग्राम पंचायत की नहीं रही ।

60. पत्रावली पर जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उससे यह तथ्य साबित है कि स्वर्गीय चम्पालालजी की निर्वसीयती मृत्यु हुई एवं उनके वारिशान में वादीगण व प्रतिवादिया संख्या 01 हैं जिससे वादग्रस्त संपत्ति में वादीगण व प्रतिवादिया संख्या 01 प्रत्येक का बराबर–बराबर 1/3–1/3 हक हिस्सा होना पाया जाता है, जिससे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है ।

<u>तनकी संख्या 03</u>

आया वादपत्र के परिशिष्ट 'ब' में वर्णित अनुसार स्व. चम्पालालजी के जेवरात जिसमें 5 किलो चांदी व 16 तोला सोना प्रतिवादिया सं. 1 के पास है जिसमें वादीनी 1/3–1/3 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

61. इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर था जिसके द्वारा वादीगण को यह साबित करना था कि चम्पालालजी के जेवरात में 05 किलो चांदी व 16 तोला सोना प्रतिवादिया संख्या 01 के पास है जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा है । पीडब्ल्यू 01 वैजयन्ती ने उसके मुख्य परीक्षण में चम्पालालजी के जेवरात में 05 किलो चांदी व 16 तोला सोना होना बताया है परन्तु जिरह में यह स्वीकार किया है कि परिशिष्ठ–ब में वर्णित आभूषणों एवं सोने–चांदी के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है । डीडब्ल्यू 01 उमादेवी ने जिरह में चम्पालालजी के पास 01 किलो चांदी व 05–06 तोला सोना होना कथन किया है परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई संपुष्ट साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि चम्पालालजी के पास 05 किलो चांदी व 16 तोला सोना हो जो प्रतिवादिया संख्या 01 के पास में हो जिसमें वादीगण 1/3–1/3 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी हों । इस प्रकार यह तनकी साबित नहीं होने से वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है ।

तनकी संख्या 04

आया प्रतिवादिया सं. 1 द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का दिनांक 25.05.2016 को प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में किया गया बेचाननामा (Registered Sale Deed) वादीगण उनके हक हिस्से तक शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने की अधिकारिणी है ?

62. इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है जिसके द्वारा वादीगण को यह साबित करना है कि वादग्रस्त संपत्ति का दिनांक 25.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में किया गया बेचाननामा वादीगण उनके हक हिस्से तक प्रभावहीन व शून्य घोषित करवाने की अधिकारिणी हैं । जैसा कि तनकी संख्या 01 के द्वारा यह तथ्य साबित हुआ है कि वादग्रस्त संपत्ति स्वर्गीय चम्पालालजी की खरीदशुदा संपत्ति थी तथा चम्पालालजी की दिनांक 17.02.2017 को निर्वसीयती मृत्यु हो गई जिनके वारिशान में वादीगण एवं प्रतिवादिया संख्या 01 हैं । वादग्रस्त संपत्ति स्वर्गीय चम्पालालजी की संपत्ति होने से वादीगण का उस संपत्ति पर पुत्रियॉं होने के नाते हक हिस्सा है एवं वादीगण के हक हिससे को विक्रय करने का प्रतिवादिया संख्या 01 को कोई हक अधिकार होना प्रतिवादिया संख्या 01 ने साबित नहीं किया है । प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि चम्पालालजी बीमार थे एवं उनके इलाज हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय किया गया था परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की है उससे यह तथ्य साबित नहीं होता है कि चम्पालालजी बीमार हो एवं उनके इलाज हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय किया गया हो । इस प्रकार तनकी संख्या 04 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है ।

तनकी संख्या 05

आया वादीनी उनके हिस्से में आयी सम्पत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

63. इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था जिसके द्वारा वादीगण को यह साबित करना था कि वादीगण उनके हिस्से में आई संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं । वस्तुतः यह तथ्य अनुतोष से संबंधित है तथा वादीगण ने साक्ष्य से यह साबित किया है कि वादग्रस्त संपत्ति में प्रत्येक वादीगण का 1/3-1/3 हक हिस्सा है जिससे वादीगण उनके हक हिससे में आई संपत्ति को स्वतंत्र

रूप से उपयोग–उपभोग करने की अधिकारिणी हैं तथा उनके हिस्से में आई संपत्ति के संबंध में प्रतिवादीगण को कोई हस्तक्षेप, उपयोग–उपभोग में बाधा या अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है जिससे वादीगण उनके हिस्से में आई संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी पाई जाती हैं जिससे यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती हैं ।

<u>तनकी संख्या 06</u>

आया वादग्रस्त सम्पत्ति वाला भूखण्ड प्रतिवादिया सं. 1 ने उसी रकम से क्रय किया एवं भूखण्ड पर उसकी स्वयं की आय से मकान बनाया?

64. इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादिया संख्या 01 पर था जिसके द्वारा प्रतिवादिया संख्या 01 को यह साबित करना था कि वादग्रस्त भूखण्ड प्रतिवादिया ने उसकी रकम से क्रय किया एवं स्वयं की आय से उस पर मकान बनाया । प्रतिवादिया डीडब्ल्यू 02 ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह कथन किया है कि वादग्रस्त भूखण्ड उसके स्वयं की रकम से चम्पालालजी ने दिनांक 15.09.1976 को क्रय किया था । भूखण्ड क्रय किया उस वक्त किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं था । वादग्रस्त भूखण्ड पर मकान उसने अपने पीहर एवं पूर्व पति से प्राप्त निजी रकम से बनवाया था । वादग्रस्त मकान के निर्माण में उसके पति स्वर्गीय चम्पालालजी अथवा उनके संयुक्त परिवार की कोई राशि व्यय नहीं हुई थी । दावाकृत मकान उसके एकल स्वामित्व का था एवं रहा । जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति उसने एकल स्वामित्व के तौर पर खरीदी हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा इस तथ्य को सही बताया है कि वादग्रस्त संपत्ति की रजिस्ट्री चम्पालालजी के नाम की है जो प्रदर्श 01 है । उसने जवाब दावे व मुख्य परीक्षण में वादग्रस्त संपत्ति पर मकान बनाना बताया है जो किस वर्ष बनाया उसे ध्यान नहीं । प्रतिवादिया डीडब्ल्यू 02 उमादेवी ने उसके मुख्य परीक्षण में वादग्रस्त संपत्ति उसकी स्वयं की आय से क्रय करना बताया है परन्तु उसकी आय के स्रोत क्या थे ऐसा कोई कथन नहीं किया है । उसके विपरीत विक्रय विलेख प्रदर्श 01 के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि विक्रय विलेख में दर्ज प्रतिफल की राशि चम्पालालजी द्वारा नकद अदा किए जाने का उल्लेख है । प्रतिवादिया संख्या 01 ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश कर इस तथ्य को साबित नहीं करवाया है कि उसके पास वादग्रस्त संपत्ति क्रय करने के लिए कोई स्रोत हो या उसके स्वयं का कोई उपक्रम हो जिससे प्राप्त

आय से उसने भूखण्ड क्रय किया हो व उस पर मकान बनाया हो जिससे उक्त तनकी प्रतिवादिया संख्या 01 के विरुद्ध एवं वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 07

आया प्रतिवादी सं. 2 सद्भाविक क्रेता है ?

65. इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 02 पर था जिसे इस तनकी के जरिए यह साबित करना था कि वह सद्भाविक क्रेता है। डीडब्ल्यू 01 ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में दावाकृत संपत्ति का सप्रतिफलार्थ सद्भाविक क्रेता होना बताया है । प्रतिवादी संख्या 02 ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 25.05.2018 को वर्तमान वाद न्यायालय में विचाराधीन था अजखुद कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी संख्या 02 के हक में विक्रय विलेख प्रदर्श ए 3 ए दिनांक 25.05.2018 को निष्पादित किया गया है जबकि हस्तगत वाद विक्रय विलेख निष्पादित करवाए जाने से पूर्व दिनांक 16.04.2018 को प्रस्तुत किया गया था।

पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रतिवादिया संख्या 01 को तारीख पेशी 27.04.2018 का समन प्रतिवादिया संख्या 01 के भतीजे द्वारा लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है जिसे पर्याप्त तामील नहीं मानकर पुनः तामील जारी की गई थी, तत्पश्चात् तारीख पेशी 30.05.2018 को नियत की गई थी जिस पेशी का नोटिस प्रतिवादिया संख्या 01 को दिनांक 26.05.2018 को तामील हुआ है एवं विक्रय विलेख नोटिस तामील होने से एक दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित किया गया है। डीडब्ल्यू 01 ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादीगण चम्पालालजी की बेटियाँ हैं इस बात की उसे जानकारी है तथा इस कथन को भी सही बताया है कि उसके द्वारा संपत्ति क्रय करने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया, अजखुद कहा कि वादीगण का आना-जाना नहीं था। प्रतिवादी संख्या 02 ने वादग्रस्त संपत्ति का सद्भाविक क्रेता होना बताया है परन्तु वादग्रस्त संपत्ति क्रय किए जाने से पूर्व उसे इस तथ्य की जानकारी होना जाहिर होता है। स्वर्गीय चम्पालालजी की दो पुत्रियाँ होने का प्रतिवादी संख्या 02 को ज्ञान था बावजूद उसके उसने संपत्ति क्रय करने से पूर्व कोई सावधानी बरती हो या इस संबंध में कोई तहकीकात की हो ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं किया है जिससे प्रतिवादी संख्या 02 का सद्भाविक क्रेता होना साबित नहीं होता है जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 02 के विरुद्ध एवं वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

<u>अनुतोष</u>

66. चूंकि तनकी संख्या 01, 02, 04 व 05 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध, तनकी संख्या 03 वादीगण के विरुद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं तनकी संख्या 06 प्रतिवादिया संख्या 01 के विरुद्ध व तनकी संख्या 07 प्रतिवादी संख्या 02 के विरुद्ध एवं वादीगण के पक्ष में तय की गई हैं, जिससे वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है ।

:: आदेश ::

67. अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है कि :–

(i) वाद पत्र के पद संख्या 02 परिशिष्ट 'अ' में वर्णित अचल संपत्ति मय तामिरात में वादीगण वैजयन्तीदेवी व पुष्पादेवी प्रत्येक का 1/3+ 1/3 = 2/3 हिस्सा घोषित किया जाता है ।

(ii) वादीगण वैजयन्तीदेवी व पुष्पादेवी वाद पत्र के पद संख्या 02 परिशिष्ट 'अ' में वर्णित अचल संपत्ति मय तामिरात में वादीगण प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाकर उसका तन्हा कब्जा वादीगण प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं ।

(iii) प्रतिवादिया संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के हक में वादग्रस्त संपत्ति के संपूर्ण भाग का बेचाननामा क्रमांक 837 दिनांक 25.05.2018 उप पंजीयक पचपदरा के पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 28 में पंजीबद्ध (अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 160 के पृष्ठ संख्या 5 से 12 पर चस्पा) को वादीगण के 2/3 हिस्से तक अवैध, अनाधिकृत व अप्रवर्तनीय करार दिया जाकर निरस्त किया जाता है ।

(iv) प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादीगण के पक्ष में संपत्ति का जो हक/हिस्सा प्राप्त होगा, उसमें वादीगण के उपयोग व उपभोग में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखलंदाजी व हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही वादग्रस्त भूखण्ड का बेचान अन्य किसी को करेंगे ।

(v) वाद की प्रकृति, प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए पक्षकारान वाद का खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे । तदनुसार प्रारंभिक डिक्री मुर्तिब की जाये ।

68. हस्तगत प्रकरण संपत्ति के विभजन का वाद होने से प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है इसलिए पक्षकारों के हिस्से में आई संपत्ति का कौनसा भाग एवं कितना माप प्राप्त होगा, यह अंतिम डिक्री की कार्यवाही में पक्षकार कमिश्नर नियुक्त करवाकर उक्त संपत्ति में अपना हिस्सा/अंश माप एवं सीमांकन (बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड) के जरिये प्राप्त कर सकेंगे।

(एम.आर.सुथार)
जिला न्यायाधीश,
बालोतरा

69. आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(एम.आर.सुथार)
जिला न्यायाधीश,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.05.25 10:32:58 +0530